

28 मार्च 2016 को सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल – 576 104 में संपन्न होनेवाली
बैंक के शेयरधारकों की
असाधारण आम बैठक की सूचना

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED TO BE HELD
ON 28TH MARCH 2016 AT SYNDICATEBANK
GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM, MANIPAL – 576 104



प्रधान कार्यालय: मणिपाल
Head Office : Manipal

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं. 31 – 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)
फैक्स सं.: 040 23001153
टोल फ्री सं. 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents:
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032
Phone No.: 040 67162222 or 040 67161516 (D)
Fax No.: 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक – कॉर्पोरेट कार्यालय
दूसरा क्रॉस, गाँधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष 080 22283030 फैक्स सं. 080 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
Syndicate Bank – Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru – 560 009 (Karnataka)
Tel 080 – 22283030 Fax No. 080 22283030
E-Mail : inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances : syndinvest@syndicatebank.co.in

विषय सूची / Contents

सूचना	3
Notice	4
नोट	5
Notes	5
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	11
Attendance Slip / Entry Pass	12
प्रॉक्सी फार्म	13
Proxy Form	14



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, 28 मार्च 2016 को प्रातः 10.30 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104 में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प(पों) के तौर पर पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार और ऐसे अनुमोदनों को देने में उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना और सेबी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) यथा संशोधित विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), और समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन करार, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात ‘बोर्ड’ से तात्पर्य ऐसी पूंजी निर्गम समिति से होगा जिसे बोर्ड द्वारा गठित की गई हो या बाद में गठित की जानेवाली हो, इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा) को दी गयी है ताकि पूंजी जुटाने के लिए सेबी आईसीडीआर की विनियमावली के नियम 76(4) के अनुसार ₹52.51 (रुपये बावन और पैसे इक्यावन मात्र) नकद के लिए ₹10/- प्रत्येक की अंकित मूल्य वाले 4,13,12,457 तक के इक्विटी शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन द्वारा अधिमान आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और/या इसकी विभिन्न योजनाओं (एलआईसी) को कुल ₹216.94 करोड़ की राशि (रुपये दो सौ सोलह करोड़ चौरानबे लाख मात्र) प्रदान करने हेतु बोर्ड ने निर्णय लिया है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि 26 फरवरी 2016 होगी।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, मंडल या मंडल की समिति को यह प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी कि इस प्रस्ताव में किए गए संशोधनों को या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य ऐसा कोई उचित प्राधिकारी अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करने/देने और निर्गम की मंजूरी, आबंटन और उन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में बोर्ड की सहमति से उन्हें स्वीकार करने का अधिकार होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, उक्त जारी किए जाने वाले शेयर बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और वे घोषित किए जाने वाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से मंडल या मंडल की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं, जो अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और उक्त इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी भी आपत्ति, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो सभी प्रलेखों और लेखनों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित हों, जो आगे, शेयरधारकों की अनुमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना उचित या वांछनीय समझते हों या इस प्रयोजन और उद्देश्य से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारक इस पर अपना अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा दिया गया समझेंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड या निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक के ऐसे अन्य कोई अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(अरुण श्रीवास्तव)

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 02.03.2016

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



Head Office : Manipal

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank will be held on Monday 28th March 2016, at 10.30 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 to transact the following business:

To consider and if thought fit, the following resolution(s) as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations), as amended, and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting upto 4,13,12,457 equity shares of face value of ₹10/- each for cash at ₹52.51 (Rupees Fifty two and paise fifty one only) determined by the Board in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹216.94 Crore (Rupees Two hundred Sixteen Crore and ninety four Lakh only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC) and/or its various schemes (LIC).”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **26th February 2016.**”


“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board or Committee of the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other Officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors



(Arun Shrivastava)

Managing Director and Chief Executive Officer

Place : Bengaluru

Date : 02.03.2016

नोट :

1. बैठक के संव्यवहार के बारे में उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक जानकारी इसके साथ संलग्न की गई है।
2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति:**
बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् दि. 23 मार्च 2016, बुधवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा किसी कॉरपोरेट निकाय, जो कि शेयरधारक है, को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में असाधारण आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् दि. 23 मार्च 2016, बुधवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :**
शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर “प्रॉक्सी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के साथ पढ़े गए सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन,

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. **APPOINTMENT OF PROXY**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Wednesday, the 23rd March 2016.
3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Wednesday, the 23rd March 2016.
4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**
For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read

2015 के विनियम 44 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है ।

बैंक के शेयरधारक, बैठक की सूचना में निहित अनुसार रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय के मदों का कारबार कर सकते हैं ।

बैंक ने कंपनी सचिव मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी को कंपनी द्वारा एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न होने का पर्यवेक्षण करेंगे । संवीक्षक बैठक की समाप्ति की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर मतदान की रिपोर्ट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे कि मतदान समर्थन में हुआ या विरोध में । इसका परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को जाहिर किया जाएगा और बैंक एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) के वेबसाइट में दर्शाया जाएगा ।

रिमोट ई-मतदान के लिए अनुदेश

1. रिमोट ई-मतदान के लिए निम्नांकित यू आर एल का प्रयोग करें: कार्वी वेबसाइट से: <http://evoting.karvy.com>
2. निर्धारित दिनांक को भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले कंपनी के शेयरधारक, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं ।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें {अर्थात् वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड} । आपकी फोलियो सं/डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी ।
4. ब्यौरों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें ।
5. आप पासवर्ड परिवर्तन मेनु में जाकर आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा । नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे । सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा । यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो

with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall within a period of three working days from the date of conclusion of Meeting, submit their report of the votes cast in favour or against, if any, to the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. The results of the same will be disclosed to the Stock Exchanges and hosted on the website of the Bank and the e-voting agency (M/s. Karvy Computershare (P) Ltd).

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

1. To use the following URL for Remote e-voting: From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials {i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the EGM}. Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to

अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं । अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें ।

retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

6. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ।
7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात् सिंडिकेट बैंक का चयन करने का सुझाव देगा ।
8. जिनके पास निर्दिष्ट दिनांक अर्थात् 21.03.2016 को शेयर हैं, वे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अपना मतदान कर सकते हैं।
9. पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें । एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी । शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान मतदान में मतदान संपन्न होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं ।
10. अनेक फोलियो/डीमेट खाते रखनेवाले शेयरधारक हर फोलियो/डीमेट खाते के लिए मतदान की प्रक्रिया का चयन अलग-अलग करें ।
11. शेयरधारक द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान किए जाने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
12. दि. 23.03.2016 के प्रातः 9 बजे से दि. 27.03.2016 के सायं 5 बजे तक मतदान के लिए पोर्टल खुला रहेगा ।
13. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए <http://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं. 1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें ।

असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग / पोलिंग

रिमोट ई-मतदान के अलावा, जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उनके लिए भी मतदान होगा। इस संबंध में घोषणा करने के तुरंत पश्चात मतदान आरंभ किया जाएगा और वोटों की संख्या, उनके द्वारा कट ऑफ तारीख यानि 21.03.2016 तक धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी ।

इसके पश्चात वोटों की गिनती होगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान आयोजित मतदान के माध्यम

6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.
8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 21.03.2016, can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.
10. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 23.03.2016 to 5 p.m. on 27.03.2016.
13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel No. 1800 345 4001 (toll free).

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 21.03.2016.

The counting of votes would be taken up thereafter and the Chairman of the meeting will announce the final

से प्राप्त कुल वोटों के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा ।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों के साथ बैठक के दौरान आयोजित मतदान का कुल परिणाम बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज यानि एनएसई एवं बीएसई को भी सूचित किया जाएगा ।

सेबी आई सी डी आर नियमावली के अध्याय VII के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटीकरण

ए) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

पूँजी पर्याप्तता हेतु बासेल III की अपेक्षाओं के अनुपालन में हमेशा पूँजी वृद्धि की अत्यंत आवश्यकता होती है । इस संबंध में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने दिनांक 22.02.2016 के अपने पत्र, आईएनवी/ईक्विटी सेक्शन द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर 4,13,12,457 इक्विटी शेयरों को अधिमान निर्गम के आधार पर खरीदने हेतु “सैद्धांतिक रूप से” अपने अनुमोदन की सूचना दी है, बशर्ते, बैंक की निर्गम पूँजी के पश्चात कुल जोखिम किसी भी समय 14.50% से अधिक न हो।

बी) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पूरे निर्गम के लिए अभिदान दिया जाएगा।

सी) निर्गम से पहले और बाद में शेयरधारण का संभावित ढाँचा :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (26.02.2016 को)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक धारण (भारत सरकार)	45,83,94,888	69.24	45,83,94,888	65.17
बी.	गैर-प्रवर्तक धारण	20,36,64,284	30.76	24,49,76,741	34.83
	कुल	66,20,59,172	100.00	70,33,71,629	100.00

डी) बैंक, सेबी आई सी डी आर नियमावली में बताए गए समय सीमा के अंदर यह निर्गम प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है ।

results based on the aggregate of votes secured through remote e-voting and voting conducted at the meeting.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank’s website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations

a) Objects of the Preferential Issue

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. In this connection, Life Insurance Corporation of India (LIC) vide their letter No. Inv/Equity Section dated 22.02.2016 has conveyed their “in principle” approval for subscribing to the preferential issue of 4,13,12,457 equity shares at a price determined as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009, subject to total exposure not exceeding 14.50% of post issue capital of the Bank at any point of time.

b) The entire issue will be subscribed by LIC of India.

c) Shareholding Pattern before the issue and likely shareholding pattern after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 26.02.2016)		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter’s Holding (Government of India)	45,83,94,888	69.24	45,83,94,888	65.17
B	Non-Promoter Holding	20,36,64,284	30.76	24,49,76,741	34.83
	Total	66,20,59,172	100.00	70,33,71,629	100.00

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

ई) चूँकि यह निर्गम भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, भारत सरकार का शेयरधारण 51% से कम नहीं होगा, अतः इसके नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एफ) निर्गम से पहले और बाद (संभावित) में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयर धारिता निम्न प्रकार होगी :

	शेयरों की संख्या	पूँजी में प्रतिशतता
	भारतीय जीवन बीमा निगम	भारतीय जीवन बीमा निगम
निर्गम से पहले	6,06,76,429	9.16
निर्गम के बाद	10,19,88,886	14.50

जी) बैंक के ईक्विटी शेयर छः महीने से ज्यादा समय से सूचीबद्ध हैं, तदनुसार इन पर सेबी आई सी डी आर नियमावली के प्रावधान 76(3) और 78(5) लागू नहीं होंगे।

एच) मौजूदा शेयरधारण के लॉक-इन से संबंधित प्रावधान एलआईसी ऑफ इंडिया के लिए लागू नहीं हैं।

आई) निर्गम मूल्य को यथा आशोधित सेबी (आईसीडीआर) के अध्याय VII में दिए गए अधिमानी निर्गम के लिए अब तक यथा संशोधित विनियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

जे) एलआईसी को जारी किए गए और आबंटित शेयर, विशेष संकल्प के बाद जारी शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए व्यापारिक (ट्रेडिंग) अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक लॉक इन अवस्था में रहेंगे।

के) वैधानिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जा रहे निर्गम को असाधारण आम बैठक में रखा जाएगा।

एल) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर कागजीकृत रूप में हैं तथा सूचीबद्ध करार में बताए अनुरूप बैंक ईक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्तों का अनुपालन उस शेयर बाजार के नियमों के अनुसार करता रहेगा, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

एम) एलआईसी को, सार्वजनिक हित की एक बीमा कंपनी होने के कारण, संबंधित दिनांक से पूर्व के छह महीने के दौरान ईक्विटी

e) As the issue is to be made to LIC of India, Government of India shareholding will not fall below 51%, there would not be any change in control.

f) The Pre and Post issue (likely) shareholding of LIC of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
	LIC of India	LIC of India
Pre-issue	6,06,76,429	9.16
Post-issue	10,19,88,886	14.50

g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

h) Provisions relating to Lock-in of existing shareholding do not apply to LIC of India.

i) The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended till date.

j) The shares issued and allotted to LIC shall be locked in for a period of one year from the date of trading approval granted by stock exchanges to the shares issued pursuant to the Special Resolution.

k) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

l) All the shares held by LIC of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

m) LIC being an insurance Company with Public Interest is exempt from the provisions of Regulation

शेयरों को न बेचने संबंधी सेबी आईसीडीआर के विनियमन के विनियम 72 (2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

- एन) सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 की शर्तों के अनुसार, बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर ऑफर करने एवं अधिमाम्यता के आधार पर शेयर आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प के ज़रिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- ओ) जहाँ कहीं भी अपेक्षित है, सेबी आई सी डी आर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार बैंक, ईक्विटी शेयर का मूल्य पुनः परिकलित करेगा।
- पी) बैंक यह घोषणा करता है कि यदि पुनः परिकलित मूल्य का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो, निर्धारित प्रतिभूति तब तक लॉक-इन अवस्था में रहेगी जब तक कि आबंटिती द्वारा उस रकम की अदायगी नहीं की जाती।
- क्यू) आपके निदेशक विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।


बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध नहीं है और न ही इस संकल्प में उनका कोई हित है।

72 (2) of the SEBI ICDR Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.


- n) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-à-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.
- o) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- p) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- q) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 02.03.2016


(अरुण श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Place : Bengaluru
Date : 02.03.2016


(Arun Shrivastava)
Managing Director and
Chief Executive Officer



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 28 मार्च, 2016

समय : प्रातः 10.30 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की असाधारण आम बैठक में एतद्वारा मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



Head Office : Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 28th March, 2016

Time : 10.30 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			



Head Office : Manipal

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders / proxy or authorized representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की _____ को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 28 मार्च, 2016
प्रातः 10.30 बजे होनेवाली असाधारण आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से
वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2016 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
सी) किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. प्रॉक्सी के साथ
ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 23 मार्च 2016, बुधवार को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेटबैंक तथा नैगम सूचना केंद्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत राजस्व टिकट लगा न हो।
ए) बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
बी) यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
सी) जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
डी) सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Head Office : Manipal

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 28th March, 2016 at 10.30 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016.

Please
Affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address:

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Wednesday, the 23rd March 2016.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
 - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
 - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
 - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
 - No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

